



म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल



क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2023-24/297 भोपाल, दिनांक 06/09/2023

:-:परिपत्र:-

दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की 259 मंडी समितियों में ई-अनुज्ञा प्रणाली प्रकृत होकर संपूर्ण अनुज्ञा पत्र ई-अनुज्ञा पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाने के निर्देश प्रसारित किये गए हैं। कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर द्वारा वर्तमान में फिजिकल/मैन्युअल अनुज्ञा पत्र जारी किए जा रहे हैं। केले की नीलामी दिनांक को केले की तौल नहीं की जाकर आगामी दिवस में बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पर की जाती है। तदुपरांत संबंधित अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा हस्तालिखित प्ररूप-10 मंडी समिति में प्रस्तुत किये जाने पर मंडी कर्मचारियों द्वारा प्ररूप-9 में मैन्युअल अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।

कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर में अधिसूचित कृषि उपज केला की ई-अनुज्ञा पोर्टल से ई-अनुज्ञा जारी किये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

- सर्वप्रथम अधिसूचित कृषि उपज केला की नीलामी की जाएगी।
- विक्रेता कृषक के खेत पर क्रेता व्यापारी द्वारा अधिसूचित कृषि उपज केला के परिवहन हेतु वाहन में केले का लदान किया जाएगा।
- लदान किये गए केले का वजन किया जाएगा। जिसकी तौल पर्ची कृषक को उपलब्ध कराई जाएगी।
- अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर प्ररूप-10 घोषणा पत्र ई-अनुज्ञा पोर्टल से जारी किया जाएगा।
- अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा जारी प्ररूप-10 का सत्यापन मंडी सचिव द्वारा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता कृषक का सम्पूर्ण भुगतान किया गया है तथा मंडी समिति को निर्धारित मंडी शुल्क प्राप्त हो गया है।
- उपरोक्त प्रक्रिया का पालन होने पर अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी ई-अनुज्ञा पत्र स्वयं जारी कर सकेंगे, साथ ही मंडी समिति के सहायक उपनिरीक्षक तथा मंडी निरीक्षक व्यापारी के सहयोग/आग्रह पर ई-अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेंगे।
- बिक्री प्रमाणक/भुगतान पत्रक ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आगामी दिवसों में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। मंडी सचिव बिक्री प्रमाणक/भुगतान पत्रक को ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

०६/०९/२३
(श्रीमन् शुक्ला)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि तथा अध्यक्ष, मंडी वोर्ड, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. कलेक्टर, वुरहानपुर जिला वुरहानपुर।
4. अपर संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
5. संयुक्त/उप संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6. संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, इंदौर।
7. श्री मुशर्रफ सुल्तान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. भोपाल।
8. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति वुरहानपुर जिला वुरहानपुर।

1
06/09/23
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल